राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आदेश ::

S.B. Cri. Leave to Appeal No.-170/2015

State of Raj.

Vs.

Abdul Hameed & Anr.

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

लोक अभियोजक श्री रामरतन गुर्जर।

:: आदेश :: 28.02.2018

न्यायालय द्वारा :–

अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, कोटा द्वारा विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या–**12/2014** में पारित निर्णय दिनांकित **18.02.2015**, जिसके तहत प्रत्यर्थीगण को **धारा 8/21 एवं 8/29 एनडीपीएस एक्ट** के आरोप से दोषमुक्त किया गया है, से व्यथित होकर अपीलार्थी–राज्य सरकार की ओर से अपील अनुमति याचिका पेश की गई है।

योग्य लोक अभियोजक को सुना गया। अभिलेख एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, मामले की प्रकृति एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में जो निष्कर्ष दिया गया है, उसके खण्डन में अपील अनुमति याचिका में वर्णित आधारों को ध्यान में रखते हुए प्रथमदृष्टया अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील अनुमति याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत यह अपील अनुमति याचिका स्वीकार की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि इस अपील अनुमति याचिका को नियमित अपील के रूप में दर्ज किया जाए।

प्रत्यर्थीगण को जरिये जमानती वारण्ट **बीस हजार रूपये** से तलब किया जावे। पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–
उपरोक्त निर्णय/आदेश भारत सरकार का राजपत्र संख्या–1, दिनांक 02 जनवरी, 1999 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संकल्प/नोटिफिकेशन के तहत संबंधित भाषा (हिन्दी) में खुले न्यायालय में लिखाया गया।